



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2004/कार्तिक 25, 1926

No. 990]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004/KARTIKA 25, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

(आय-कर)

का.आ. 1275(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के साथ पाठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2004 है।
(2) ये 1 दिसम्बर, 2004 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में:-

(क) प्ररूप सं. 3गक की मद सं. 3 में, “प्ररूप सं. 3गघ” शब्द, अंक और अक्षरों के पश्चात्, “और उसके उपाबंध” शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) प्ररूप सं. 3गख की मद सं. 4 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“4. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का कथन प्ररूप सं. 3गघ में इसके साथ उपाबंध है।

5. * मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा * मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररूप सं. 3गघ और उसके उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।”;

(ग) प्ररूप सं. 3गघ के अंत में आने वाले टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ टिप्पण :

1. इस प्ररूप के उपाबंध को अवश्य भरा जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर प्ररूप को अपूर्ण माना जाएगा।
2. इस प्ररूप और उपाबंध पर, यथास्थिति, प्ररूप सं. 3गक या प्ररूप सं. 3गख पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।”

उपाबंध

भाग क

1. निर्धारिती का नाम :
2. पता :
3. स्थायी लेखा संख्या :
4. प्रास्थिति :
5. समाप्त हुआ पूर्ववर्ती वर्ष : 31 मार्च.....
6. निर्धारण वर्ष :

भाग ख

व्यवसाय की प्रकृति

कोड *

क्रम सं.	प्राचल	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.	समादत्त शेयर पूंजी		
2.	शेयर आवेदन धन		
3.	आरक्षितियां और अधिशेष		
4.	प्रतिभूत उधार		
5.	अप्रतिभूत उधार		
6.	चालू दायित्व और प्रावधान		
7.	तुलनपत्र का योग		
8.	सकल व्यापारावर्त		
9.	सकल लाभ		
10.	प्राप्त कमीशन		
11.	संदत्त कमीशन		
12.	प्राप्त ब्याज		

13.	संदत्त ब्याज		
14.	लेखाबहियों के अनुसार अवमूल्यन		
15.	कर से पूर्व शुद्ध लाभ (या हानि)		
16.	आय पर संदत्त/बहियों में प्रावधान किया गया कर		

हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

टिप्पण :

* कृपया अपने कारबार क्रियाकलापों के मुख्य क्षेत्र से संबंधित सुसंगत कोड प्रविष्ट करें। कोड निम्नानुसार है :

सेक्टर	सब-सेक्टर	कोड
(1) विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	0101
	आटोमोबाइल और आटो पुर्जे	0102
	सीमेंट	0103
	हीरा कटिंग	0104
	ओषधि और भेषज	0105
	कंप्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स	0106
	इंजीनियरी सामान	0107
	उर्वरक, रसायन, पेन्ट्स	0108
	आटा और चावल मिलें	0109
	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ	0110
	संगमरमर और ग्रेनाइट	0111
	कागज	0112

	पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन	0113
	विद्युत और ऊर्जा	0114
	मुद्रण और प्रकाशन	0115
	खेड़	0116
	इस्पात	0117
	चीनी	0118
	चाय, काफी	0119
	वस्त्र, हथकरघा, विद्युतकरघा	0120
	तम्बाकू	0121
	टायर	0122
	वनस्पति और खाद्य तेल	0123
	अन्य	0124
(2) व्यापार	श्रृंखला भंडार	0201
	खुदश विक्रेता	0202
	थोक विक्रेता	0203
	अन्य	0204
(3) कमीशन अभिकर्ता	साधारण कमीशन अभिकर्ता	0301
(4) भवन निर्माता	भवन निर्माता	0401
	संपदा अभिकर्ता	0402
	संपत्ति विकासकर्ता	0403
	अन्य	0404
(5) ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	0501
	आबकारी ठेकेदार	0502
	वन ठेकेदार	0503

	खनन ठेकेदार	0504
	अन्य	0505
(6) वृत्तिक	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक, आदि	0601
	फैशन डिजाइनर	0602
	विधिक वृत्तिक	0603
	चिकित्सा वृत्तिक	0604
	नर्सिंग हॉम	0605
	विशेष सुविधा वाले अस्पताल	0606
	अन्य	0607
(7) सेवा सेक्टर	विज्ञापन अभिकरण	0701
	ब्यूटी पार्लर	0702
	परामर्शी सेवाएं	0703
	कूरियर अभिकरण	0704
	कंप्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान	0705
	विदेशी मुद्रा व्यापारी	0706
	आतिथ्य संबंधी सेवाएं	0707
	होटल	0708
	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं, वीपीओ सेवा उपलब्ध कराने वाले	0709
	सुरक्षा अभिकरण	0710
	साफ्टवेयर विकास अभिकरण	0711
	परिवहनकर्ता	0712
	यात्रा अभिकर्ता, दूर प्रचालक	0713
	अन्य	0714
(8) वित्तीय सेवा सेक्टर	बैंककारी कंपनियां	0801

	चिट-फंड	0802
	वित्तीय संस्थाएं	0803
	वित्तीय सेवा प्रदाता	0804
	पट्टा देने वाली कंपनियां	0805
	साहूकार	0806
	गैर-बैंककारी वित्त कंपनियां	0807
	शेयर दलाल, उप दलाल, आदि	0808
	अन्य	0809
(9) मनोरंजन उद्योग	केबल टीवी निर्माण	0901
	फिल्म वितरण	0902
	फिल्म प्रयोगशालाएं	0903
	चलचित्र निर्माता	0904
	टेलीविजन चैनल	0905
	अन्य	0906

[अधिसूचना सं. 280/2004/फा. सं. 142/24/2004-टीपीएल]

डी. पी. सेमवाल, निदेशक (टीपीएल-III)

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन आय-कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2004 द्वारा, अधिसूचना का. आ. सं. 1213(अ) तारीख 03-11-2004 के तहत किया गया था।